कार्यालय उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें
जिला गरियाबंद (छ0ग0)

आमदी रोड शारदा चौक के पास गरियाबंद पिन कोड 493889

फोन एवं फैक्स नं. 07706–299061 ई. मेल :– ddvsgari.cg@nic.in

क्रमांक ....1356......./स्थापना/डी.एम.एफ–संविदा/2023–24/गरियाबंद/दिनांक 12/5/2023

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला गरियाबंद अंतर्गत संस्थाओं व स्थापित गौठानों में पशु चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के रिक्त पदों पर स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष हेतु या छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग की अनुमति से संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा स्थाई नियुक्ति किए जाने तक (जो भी पहले हो) कलेक्टर, जिला गरियाबंद द्वारा अनुमोदित जिला खनिज न्यास मद अंतर्गत विकासखण्ड मैनपुर एवं देवभोग में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी को निश्चित एकमुश्त मानदेय रूपये 18420.00 (रूपये अठ्ठारह हजार चार सौ बीस मात्र) पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता **पशुपालन में पत्रोपाधि प्रमाण–पत्र परीक्षा (डिम्पलोमा इन एनीमल हस्बैण्डरी)** उत्तीर्ण संभाग/जिला निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र गरियाबंद के वेबसाईट **https://gariaband.gov.in** से डाउनलोड कर सकते है। निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर वांछित शैक्षणिक व अन्य आवश्यक दस्तावेजों के स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ दिनांक 05.06.2023 तक पंजीकृत डॉक से **कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला गरियाबंद (छ.ग.) में सांय 5.30 बजे तक** स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि व समय पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापित पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है :–

पदनाम	प्रावधानित मद	एकमुश्त मानदेय राशि	रिक्त पद संख्या	वर्गवार रिक्तियां					
				वर्ग	अनारक्षित	अपिव	अजजा	अजा	योग
सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	डी.एम.एफ.	रूपये 18420/- अठ्ठारह हजार चार सौ बीस प्रतिमाह एकमुशत (कलेक्टर द्वारा निर्धारित)	10	महिला	1	0	1	0	2
				दिव्यांग	0	0	0	0	0
				मुक्त	3	1	3	1	8
				कुल	4	1	4	1	10

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

Join Our Telegram Channel

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद हेतु अर्हकारी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से जीव विज्ञान विषय के साथ (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
2. दाऊ वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग से मान्यता प्राप्त किसी भी पशु चिकित्सा पालीटेक्निक संस्थान से विज्ञापित तिथि को **पशुपालन में पत्रोपाधि प्रमाण–पत्र परीक्षा (डिम्पलोमा इन एनीमल हस्बैण्डरी)** में कम से कम पचास प्रतिशत अंको से डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

भर्ती की प्रकिया :–

1. स्वीकृत पदो के लिए निर्धारित योग्यता व मापदण्डों के आधार पर जिला/संभाग स्तर पर विज्ञापन जारी कर पशुपालन में पत्रोपाधि प्रमाण–पत्र (डिम्पलोमा इन एनीमल हस्बैण्डरी) धारक अभ्यार्थियों से वर्गवार आवेदन प्राप्त किए जावेगें।
2. प्राप्त आवेदनों की छंटनी के बाद निर्धारित योग्यता व मापदण्डों के आधार पर योग्य पाये गए अभ्यर्थियों के चयन हेतु पशुपालन में पत्रोपाधि प्रमाण–पत्र (डिम्पलोमा इन एनीमल हस्बैण्डरी) के प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर वर्गवार वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
3. यदि स्वीकृत पदो के विरूद्ध/निर्धारित पदो के विरूद्ध दो गुना से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते है तो कट आफ मार्क निर्धारित कर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. आवेदक यदि आवेदन के किसी शासकीय/अर्धशासकीय पशु चिकित्सा संस्थान में कार्य किया हो या कर रहा हो तो उसे कार्य अनुभव प्रमांण पत्र के आधार पर बोनस अंक अतिरिक्त दिए जावेगें।
5. जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी। जिले में योग्य उम्मीदवार नही होने की स्थिति में संभाग के अन्य जिले के उम्मीदवारों के आवेदनों पर विचार किया जा सकेगा।
6. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद हेतु पशुपालन में पत्रोपाधि प्रमाण–पत्र परीक्षा में प्राप्ताकों के प्रतिशत का 90 प्रतिशत अंक एवं अनुभव के लिये अधिकतम् 10 अंक (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक, जो अधिकतक 05 वर्षों के लिये ही होगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के कार्यानुभव ही मान्य होगें) निर्धारित है।
7. पशुपालन में पत्रोपाधि प्रमाण–पत्र (डिम्पलोमा इन एनीमल हस्बैण्डरी) के प्राप्तांको के प्रतिशत के प्रतिशत का प्राप्त अंक व अनुभव में प्राप्त अंको को योगकर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जावेगा।
8. कुल विज्ञापित पदों की एक चौथाई के बराबार प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
9. वर्गवार तैयार सूची के वरिष्ठता अनुक्रम में निर्धारित पदों पर चयन किया जावेगा। तदनुसार संविदा नियक्ति आदेश जारी किए जावेंगे। निर्धारित समय पर कर्तव्य पर उपस्थित न होने पर प्रतीक्षा सूची से अगले अनुक्रम वाले चयनित अभ्यर्थी को मौका दिया जावेगा।
10. यदि निर्धारित योग्यता व मापदण्डों के अनुसार वर्गवार रिक्ति हेतु गरियाबंद जिले से उपयुक्त अभ्यर्थी नही मिलते है तो दूसरे जिलों से उस वर्ग के अभ्यर्थी का चयन किया जा सकेगा।
11. विवाद की स्थिति में चयन हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर गरियाबंद को होगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा।
12. उपरोक्त पदो की पूर्ति विकासखण्ड मैनपुर के 07 एवं विकासखण्ड देवभोग के 03 रिक्त संस्थाओं में की जावेगी।

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवश्यक सेवा शर्तें :–

1. सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के चयन हेतु निर्धारित योग्यता व मापदण्डों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
2. आवेदक को दाऊ श्री वासुदेव चन्द्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग से मान्यता प्राप्त किसी भी पशु चिकित्सा पालीटेक्निक संस्थान से विज्ञापित तिथि को पशुपालन में पत्रोपाधि प्रमाण–पत्र (डिम्पलोमा इन एनीमल हस्बैण्डरी) में कम से कम पचास प्रतिशत अंको से डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
3. आवेदक को संविदा नियोक्ता की सभी सेवा शर्तों को मानना अनिवार्य होगा।
4. यह संविदा नियुक्ति जिला खनिज न्यास संस्थान मद से की जा रही है। अतः स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष हेतु या जिले के अंतर्गत रिक्त पदों पर छ.ग. शासन पशुधन विकास विभाग की अनुमति से संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें छ.ग. रायपुर द्वारा स्थाई नियुक्ति किए जाने तक ही (जो पहले हो) संविदा नियुक्ति मान्य होगी। संविदा नियुक्ति तिथि से एक वर्ष उपरांत या छ. ग. शासन पशुधन विकास विभाग की अनुमति से संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, छत्तीसगढ द्वारा स्थाई नियुक्ति किए जाने पर संविदा पर नियुक्त सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की सेवाएं स्वयं निरस्त मानी जावेगी। कोई भी उम्मीदवार निरन्तरता हेतु दावा नही कर सकेगा।
5. सेवा अवधि के दौरन प्रतिमाह मानदेय का भुगतान एकमुश्त किया जावेगा। जो कार्य आधारित होगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के सेवा भत्ते या सुविधाएं देय नही होगी।
6. सेवा के दौरान एकमुश्त देय मानदेय से जी.पी.एफ कटौती नही की जावेगी।
7. जिला खनिज न्यास संस्थान मद से राशि की व्यवस्था कलेक्टर जिला गरियाबंद द्वारा की जा रही है। एक वर्ष पश्चात् यदि रिक्त पदों की निरंतरता रहती है और जिला खनिज न्यास संस्थान मद से राशि उपलब्ध कराई जाती है तो कलेक्टर गरियाबंद की अनुमति से व अनुमोदन प्राप्त कर पदों की भर्ती/निरन्तरता की जा सकेगी।
8. आवेदक द्वारा आवेदन करने मात्र से चयन सुनिश्चित नही होगा अपितु चयन समिति द्वारा आवेदक के द्वारा पूर्ण किए गए शर्तों के साथ–साथ आवेदन पत्र के साथ सम्मिलित आवश्यक शैक्षणिक व अन्य दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत लिए गए निर्णय के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार को पदग्रहण के समय संपूर्ण दस्तावेजों की मूल प्रति जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेज सही पाए जाने के पश्चात् ही पदग्रहण कराया जाएगा।
9. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को छ.ग. शासन द्वारा लागू आरक्षण नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।
10. भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियम व शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन किए जाने पर आवेदकों को मानना अनिवार्य होगा।
11. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या में वृद्धि/कमी या निरस्त किए जाने का संपूर्ण अधिकारी जिलाधीश, जिला गरियाबंद के पास सुरक्षित होगा।
12. भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या समस्या होने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर गरियाबंद के पास होगा जो आवेदकों को मान्य करना बंधनकारी होगा।
13. आवेदन कर्ताओं को निर्धारित आवेदन पत्र में साफ सुथरे शब्दों में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रपत्र को पहले ठीक से पढ़ लें व समझने के उपरांत जानकारी भरें। भरी जाने वाली समस्त जानकारियां स्पष्ट व पठनीय हों। किसी भी प्रकार की कांट–छांट अवांछनीय है। इससे आवेदकों का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।
14. आवेदक आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपनी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज की फोटो चस्पा करें व एक अतिरिक्त फोटो अलग से संलग्न करें। फोटो व अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति स्व प्रमाणित कर संलग्न करें।
15. शासकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।

16. सेवा प्रदाता पदों से संबधित काउन्सलिंग में जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन नही होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
17. आवेदक को वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता हेतु अतिरिक्त बोनस अंक नही प्रदाय किए जाएगें।
18. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में गैर न्यायिक 50 रूपये के स्टाम्प में एक वर्ष की सेवा हेतु नोटराईज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ पत्र व्यवहार के लिए स्वयं के पते लिखे दो लिफाफे जिसमें पांच रूपये के टिकिट लगें हो चस्पा करना होगा ताकि उनका चयन होन पर उनके पते पर चयन संबंधी सूचना दी जा सके।
20. चयन संबंधी सूचना दिये जाने हेतु मोबाईल व्हाट्सएप नंबर/ई–मेल की भी जानकारी देना अनिवार्य है।
21. भर्ती की समस्त जानकारी जिला गरियाबंद की एन.आई.सी. वेबसाईट https://gariaband.gov.in पर अपलोड की जावेगी।
22. चयनोंपरांत आवेदक को एक सप्ताह के भीतर कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा।
23. नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रत्येक चयनित अभ्यार्थी को गृह जिले के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा परीक्षण में अनुपयुक्त पाए गए चयनित अभ्यर्थी को उपस्थित नहीं कराया जाएगा।
24. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने पर, संचालक द्वारा स्थाई नियुक्ति होने पर, हड़ताल/धरना करने पर नोटिस देकर मानदेय पर अस्थाई नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
25. यदि कोई चयनित अभ्यर्थी सेवा में उपस्थित होने के पश्चात् सैवा से त्याग पत्र देना चाहता हो तो उसे एक माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा अन्यथा एक माह का वेतन जमा करना अनिवार्य होगा।
26. एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर सेवाएं स्वयमेंव समाप्त मानी जाएंगी।
27. नियुक्ति अवधी में किसी भी प्रकार की धरना/प्रदर्शन/हड़ताल की अनुमति नही होगी। धरना/प्रदर्शन/हड़ताल करने पर सेवा समाप्त करने का अधिकार कलेक्टर, जिला गरियाबंद को होगा। अवज्ञा करने पर तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दिया जाएगा।
28. आवेदन की तिथि के पश्चात् चयन समिति द्वारा परीक्षण कर अंतिम रूप से चयन सूची तैयार की जावेगी। जिसमें पात्र/अपात्र की सूची जारी होने पर एक सप्ताह के भीतर दावा/आपत्ति की जा सकेगी। जिसमें दावा/आपत्ति के अंतिम दिन तक दस्तावेज जमा किए जा सकेगें।
29. अंतिम चयन सूची जारी करने के साथ विज्ञापित पद के एक चौथाई पद के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। जिसके आधार पर निर्धारित समयावधि में कार्यभार पर उपस्थित न होने वाले अभ्यार्थियों/त्यागपत्र देने वाले के स्थान को प्रतीक्षा सूची से वरीयता कम से भरा जा सकेगा।
30. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जानो वालो दस्तावेज निर्धारित कम से संलग्न किए जावें व ऊपरी दांए किनारे पर कम संख्या अंकित कर टैग से नस्तीबद्ध किय जावें। (1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में, 2. हाई स्कूल की अंक सूची/प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो की स्व प्रमाणित छायाप्रति।, 3 अजा/अजजा संवर्ग का जाति प्रमाण की स्व प्रमाणित छायाप्रति, 4. निवास प्रमाण पत्र की स्व. प्रमाणित छायाप्रति, 5. मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्व. प्रमाणित छायाप्रति, 6. शैक्षणिक योग्यता की प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रति, 7 एक वर्ष की सेवा हेतु संलग्न प्रारूप में गैर न्यायिक 50 रूपये के स्टाम्प में नोटराईज्ड शपथ पत्र, कम से नस्तीबद्ध किए जाएं)।

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

--:: आवेदन पत्र का प्रारूप ::--

यहां फोटो चस्पा कर स्व–प्रमाणित करें

प्रति,

उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला – गरियाबंद (छ.ग.)

आपका विज्ञापन दिनांक .... दिनांक ....में विज्ञापित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के लिए मैं अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) ....
   आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में)..
2. पिता/पति का नाम ....
3. माता का नाम ....
4. जन्मतिथि (अंको में) दिनांक.................. माह .... वर्ष..............
   (शब्दो में) ....
5. जाति (सामान्य/अ.ज.जा/अ.जा./अ.पि.वर्ग) ....
6. लिंग (पुरूष/महिला/अन्य) ....
7. अभ्यार्थी छ.ग. मूल निवासी है या नही? ....
   (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. क्या आप दिव्यांग श्रेणी के है? (हां/नही) ....
9. यदि हां तो दिव्यांगता का प्रतिशत एवं प्रकार ....
   (जिला मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
10. स्थाई निवास का पूर्ण पता ....
    ....
    ....
    ....
11. वर्तमान पत्र व्यवहार का पूर्ण पता ....
    ....
    ....
    ....

मोबाईल नंबर ....

ईमेल आई.डी. ....

12. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	परीक्षा का पूर्णांक	परीक्षा में प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

13. कार्यानुभव का विवरण :–

क्र.	संस्था का नाम	संस्था का प्रकार (शासकीय / सार्वजनिक / वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था)	पदनाम	कार्य अवधि (अनुभव के कुल पूर्ण वर्ष)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

14. संलग्न सत्यापित प्रमाण–पत्रों की सूची व संख्या :–

1 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची
2 2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर्स / वर्षों की)
3 भूतपूर्व सैनिक / स्वतंत्रता संग्राम–सेनानी का प्रमाण पत्र
4 संबधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
5 स्थाई जाति प्रमाण–पत्र
6 दिव्यांगता संबंधी प्रमाण–पत्र
7 मूल निवास प्रमाण–पत्र
8 अनुभव प्रमाण–पत्र
9 अन्य

आवेदक के हस्ताक्षर

––:: घोषण पत्र ::––

मैं, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारियों पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान :– ....
दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

(रूपये 50 के गैर न्यायिक स्टाम्प में)

शपथ–पत्र

मैं शपथकर्ता .... पिता का नाम/पति का नाम श्री ....उम .... निवासी ग्राम .... जिला .... (छ.ग.) एतद् द्वारा निम्नानुसार शपथपूर्वक अभिकथन करता हूं कि :–

1. जिला गरियाबंद में सहायक पशु चिकितसा क्षेत्र अधिकारी के लिए संविदा नियुक्ति की शर्तों को भलीभांति पढ़ लिाया है तथा समक्ष लिया है।
2. उक्त विज्ञापित सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद के लिए संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जिसमें मेरी सेवाएं निर्धारित सेवा शर्तों के तहत् निर्धारित समय सीमा के लिए है तथा एक वर्ष पूर्ण करने क पश्चात् स्वयमेंव समाप्त हो जावेंगी, जो मुझे मान्य है। मै। इन्ही सेवा शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति में एकमुश्त मानदेय रूपये 18420.00 अठ्ठारह हजार चार बीस प्रतिमाह पर कार्य करने का तैयार हूॅं।
3. यदि छ.ग. शासन द्वारा संविदा नियुक्ति अवधि में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की स्थाई नियुक्ति किए जाने पर मेरी सेवांए तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है तो मैं कोई दावा आपत्ति नही करूंगा न ही न्यायालय जाने का हकदार रहूंगा।
4. चयन व सेवा अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र (अंक सूची/जाति/निवास आदि) झूठी/फर्जी पाई जाती है या प्रमाण पत्र के पुष्टि झूठी/फर्जी साबित होती है तो मेरी सेवा समाप्त कर दी जाए मुझे मान्य होगा अथवा मेरा दावा स्वयमेंव निरस्त माना जावेगा और नियोक्ता किसी भी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
5. मेरी संविदा नियुक्ति के पश्चात् नियुक्त अवधि में मैं किसी भी धरना/हड़ताल/प्रदर्शन में भाग नही लूंगा। यदि मैं ऐसा करता पाया जाता हूॅं तो नियोक्ता अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगें व मेरी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देने की कार्यवाही के लिए सक्षम रहेगें।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

//सत्यापन//

मैं शपथकर्ता .... पिता का नाम/पति का नाम श्री ....उम .... निवासी ग्राम .... जिला .... (छ.ग.) उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूॅं कि इस शपथ पत्र की कंडिका 01 से 05 तक लिखी सभी बातें मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सत्य एवं सही है। अतः आज दिनांक............................ को स्थान .... में पढ़कर व देखकर पूर्णरूपेण संतुष्ट होकर हस्ताक्षर किया।

दिनांक ....

हस्ताक्षर शपथकर्ता